

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : एफ 35 (28)चिस्वा./ग्रुप-3/2017

जयपुर, दिनांक

15/07/2017

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

विषय:—अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों की विदेश यात्रा की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों की विदेश यात्रा के प्रस्ताव प्राप्त होने पर 2 सप्ताह तक की विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करने के लिये आपको अधिकृत किया जाता है। अतः उक्त स्वीकृतियां आप अपने स्तर से ही जारी करें। विशेष परिस्थिति में 2 सप्ताह से अधिक की विदेश यात्रा के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करावें।

2 सप्ताह से अधिक की अनुमति किसी भी परिस्थिति में आपके द्वारा जारी नहीं की जावे।

भवदीय,




(अजय असवाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।



(विष्णु दत्त शर्मा)

शासन सहायक सचिव